## SOUTH CENTRAL RAILWAY SC DIVISION - ALERT ADVICE No. 07/2025

Date: 08.05.2025

No.sfy-12/SC/AA-07/2025

Sub: Strict adherence of Rules/Instructions while Passing of Intermediate Block Stop signal at 'ON' position.

Crew of train number 22674 (MQ-JU) Exp made a remark in CMS on 06-05-2025 at 04:10 hrs that between MTMI-BKL stations, IBS signal is in danger aspect. Train stopped before Intermediate Block Stop signal and ALP tried to talk with rear Station Master/MTMI but IB phone not working. Dy.SS/MTMI given Private Number 56 through walkie-talkie to pass the IB signal at "ON" position. Crew after confirmation from Main Line TLC started the train.

With regard to the above incident, the crew of train No.22674 (MQ-JU) Exp failed to follow the rule provisions of GR 3.75 and SRs there under when telephone provided on the signal post is not working. The Station Master/ MTMI, TLC and TMR of the train also failed to adhere the rule provisions in-force. In this regard the relevant rule provisions are once again reiterated for staff guidance and strict observance of stipulated rules.

- 1. The Loco Pilot of a train shall not pass an Intermediate Block Stop signal that refers to him when it is at 'on' or defective unless -
  - a) Authorised to do so by a combined authority in the form of PLCT (T/C 1425 or T/D 1425) by the Station Master of the station in rear at the time of leaving that station, or
  - b) Authorised by the Station Master of the block station in rear on the telephone provided on the signal post with PN obtained for Line clear from station in advance.
- 2. When the Station Master of the block station immediately in rear of an IBS Post is aware that the IBS signal is defective, he shall, suspend IBS working and treat the entire block section as one, obtain Line clear from the block station in advance and then issue to the Loco pilot, **combined authority** in the form of PLCT T/C 1425 (Up) or T/D 1425 (Dn) as authority to proceed and to pass the IBS at 'ON'.
- 3. In case the IBS, which is interlocked with LC. Gate, becomes defective, SM shall treat the LC Gate as non-interlocked and ensure that the LC Gate is closed by exchanging Private Numbers with Gateman before granting Line Clear / dispatching a train. Such LC gate numbers along with closure PNs shall be recorded in T/A 1425 or T/B 1425 as the case may be.

4. The Station Master of the block station in advance shall not grant Line Clear until the block section in rear is **clear** of an approaching train.

5. When a Loco Pilot finds an IBS at 'on', he shall stop his train in rear of it and contact the Station Master of the station in rear on the telephone provided on the signal post. The Station Master shall authorize the Loco Pilot to pass the IB signal at 'on' by giving the Loco Pilot a Private Number, after ensuring that Line Clear has been obtained for the train from the station in advance. The Private Number given to the Loco Pilot shall be the same Private Number that has been obtained from the station in advance for Line Clear. The Loco Pilot shall record this Private Number in the Loco Pilot's memo book.

6. If the telephone is out of order, the Loco Pilot shall, after waiting for 05 (five) minutes at the signal, pass it in the 'ON' position and in case where IBS is interlocked with gate shall follow GR 3.73 and SRs there under and proceed further cautiously at a speed not exceeding 15 KMPH when the view ahead is clear and at a speed not exceeding 8 KMPH when the view ahead is not clear.

He shall proceed at 15 KMPH or 8 KMPH, as the case may be, up to the FSS of the station in advance even if that signal and the intervening signals, if any, display 'OFF' aspect and the Loco Pilot shall continue to look for any obstruction short of the FSS.

- 7. The Loco Pilot shall act upon the aspect of the FSS of the station in advance only after he has reached the FSS. The Loco Pilot must report the failure to the Station Master at the block station in advance.
- 8. If the block instruments provided at the stations on either side of an IBS post, or the track circuiting or the axle counters provided at either end of the block section beyond the LSS fails the IBS shall be deemed to be **defective** and the procedure laid down in SR 3.75.2 shall be adhered to.
- 9. The Loco Pilot/Motorman of MEMU /EMU is permitted to leave the engine to speak to Station Master of the rear station through IBS signal post telephone when IBS signal is at 'ON' after taking the following precautions:
  - a) Apply auto brakes from leading motor coach and physically ensure that train brakes are applied.
  - b) Advise Guard on Walkie-talkie to place wooden wedges under the wheels according to the direction of falling gradient to avoid rolling down and get confirmation from the Guard.
  - c) Extract brake isolation valve (BIV) key, reverser (MPJ) key and BL key.
  - d) The Guard should not leave cab and he should be allowed to apply brakes if required. When Loco Pilot/Motorman returns to cab after speaking to the Station Master of rear station through IBS signal post telephone.

ए. सुरेश] [A. Suresh] Sr. DSO/SC

Copy to: DRM/SC for kind information.

ADRM/O/SC and ADRM/I/SC for kind information.

All Branch Officers for information and necessary action pl
All Field Supervisors for information and necessary action

## <u>दक्षिण मध्य रेलवे</u> <u>सिकंदराबाद मंडल – चेतावनी सूचना सं. 07/2025</u>

सं.एसएफवाई-12/एससी/एए-07/2025

दिनांक: 08.05.2025

विषय: इंटरमीडिएट ब्लॉक स्टॉप सिगनल को 'ऑन' स्थिति में पार करते समय नियमों/अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन करना.

दिनांक 06-05-2025 को गाड़ी सं. 22674 (मन्नारगुडी- जोधपुर) के कर्मीदल द्वारा 04:10 बजे सीएमएस में अभ्युक्ति की गई कि मोटुमारी-बोनाकालू स्टेशनों के बीच, आईबीएस सिगनल खतरे की स्थिति में है. गाड़ी इंटरमीडिएट ब्लॉक स्टॉप सिगनल से पहले रुकी और सहायक लोको पायलट ने पीछे के स्टेशन मास्टर/मोटुमारी से बात करने की कोशिश की, लेकिन आईबी फ़ोन काम नहीं कर रहा था. उप स्टशन अधीक्षक/मोटुमारी ने वॉकी-टॉकी के माध्यम से आईबी सिगनल को "ऑन " स्थिति में पास करने के लिए प्राइवेट नंबर 56 दिया. मेन लाइन टीएलसी से पृष्टि करने के बाद कर्मीदल ने गाड़ी शुरू की.

उपरोक्त घटना के संबंध में, जब सिगनल पोस्ट पर उपलब्ध टेलीफोन काम नहीं कर रहा था गाड़ी सं. 22674 (मन्नारगुड़ी-जोधपुर) एक्सप्रेस के कर्मीदल ने सानि 3.75 और उसके अंतर्गत सिन के नियम प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया. गाड़ी के स्टेशन मास्टर/मोटुमारी, गाड़ी प्रकाश नियंत्रक और गाड़ी प्रबंधक भी लागू नियम प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहे. इस संबंध में कर्मचारियों के मार्गदर्शन और निर्धारित नियमों को सख्ती से पालन करने के लिए संबंधित नियम प्रावधानों को एक बार फिर दोहराया जाता है.

- 1. किसी गाड़ी का लोको पायलट उस इंटरमीडिएट ब्लॉक स्टॉप सिगनल को तबतक पार नहीं करेगा जब यह ऑन' दिखाई दे या ख़राब हो, जब तक कि
  - a) उस स्टेशन को छोड़ते समय पछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा पीएलसीटी (टी/सी1425 या टी/डी 1425) के रूप में संयुक्त प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत नहीं किया जाता, अथवा
  - b) जबतक कि उसे लाइन क्लियर के लिए प्राप्त प्राइवेट नं. के साथ सिगनल पोस्ट पर उपलब्ध टेलिफोन पर पिछले ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा प्राधिकृत नहीं किया जाता है.
- 2. जब आईबीएस पोस्ट के ठीक पीछे स्थित ब्लॉक स्टेशन के स्टेशन मास्टर को पता चलता है कि आईबीएस सिगनल खराब है, तो वह आईबीएस कार्य को स्थिगित कर देगा और पूरे ब्लॉक सेक्शन को एक मानेगा, ब्लॉक स्टेशन से पहले ही लाइन क्लियर प्राप्त कर लेगा और फिर लोको पायलट को आगे बढ़ने और आईबीएस को ऑन 'स्थिति में पास करने के लिए पीएलसीटी टी/सी 1425 (अप) या टी/डी 1425 (डाउन) के रूप में संयुक्त प्राधिकार जारी करेगा.
- 3. यदि आईबीएस, जो समपार फाटक के साथ इंटरलॉक है, खराब हो जाता है, तो स्टेशन मास्टर समपार फाटक को नॉन-इंटरलॉक के रूप में मानेगा और लाइन क्लियर देने/गाड़ी को रवाना करने से पहले गेटमैन के साथ प्राइवेट नंबरों का आदान-प्रदान करके यह सुनिश्चित करेगा कि समपार फाटक बंद हो गया है. ऐसे समपार फाटक के नंबरों के साथ बंद करने के लिए टी/ए 1425 या टी/बी 1425 में जैसा भी मामला हो में दर्ज किया जाएगा.
- 4. अगले ब्लॉक स्टेशन का स्टेशन मास्टर तब तक लाइन क्लियर नहीं देगा जब तक कि पीछे का ब्लॉक सेक्शन आने वाली गाड़ी से क्लियर न हो जाए.
- 5. जब लोको पायलट को आईबीएस ऑन' स्थिति में दिखाई दे, तो उसे अपनी गाड़ी को उसके पीछे रोक देना चाहिए और सिगनल पोस्ट पर दिए गए टेलीफोन पर पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से संपर्क करना चाहिए. अगले स्टेशन से गाड़ी के लिए लाइन क्लियर प्राप्त किया गया है यह सुनिश्चित करने के बाद लोको पायलट को प्राइवेट नं. देते हुए ऑन पर आईबी सिगनल पार करने के लिए लोको पायलट को प्राधिकृत करेगा.

लोको पायलट को दिया गया प्राइवेट नंबर वही प्राइवेट नंबर होगा जो लाइन क्लियर के लिए स्टेशन से पहले से ही प्राप्त किया गया है. लोको पायलट इस प्राइवेट नंबर को लोको पायलट के मेमो बुक में दर्ज करेगा.

- 6. यदि टेलीफोन काम नहीं कर रहा है, तो लोको पायलट सिगनल पर 05 (पांच) मिनट तक प्रतीक्षा करने के बाद उसे 'ऑन' स्थिति में पार करेगा और यदि आईबीएस गेट के साथ इंटरलॉक है तो उसे सानि 3.73 और उसके अंतर्गत सिन का पालन करना होगा और जब आगे का दृश्य स्पष्ट हो तो अधिकतम 15 किलोमीटर प्रति घंटे से और जब आगे का दृश्य स्पष्ट न हो तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गित से सावधानी से आगे बढ़ना होगा. वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे या 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गित से, जैसा भी मामला हो, अगले स्टेशन के एफएसएस तक आगे बढ़ेगा, भले ही वह सिगनल और बीच के सिगनलों, यदि कोई हो, ऑफ' पहलू प्रदर्शित करते हों और लोको पायलट को एफएसएस से पहले किसी भी अवरोध को देखना जारी रखना होगा.
- 7. लोको पायलट को स्टेशन के एफएसएस पर पहुंचने के बाद ही अग्रिम रूप से कार्रवाई करनी चाहिए. लोको पायलट को ब्लॉक स्टेशन पर स्टेशन मास्टर को पहले से ही खराबी की सूचना देनी चाहिए.
- 8. यदि आईबीएस पोस्ट के दोनों ओर स्थित स्टेशनों पर उपलब्ध कराए गए ब्लॉक उपकरण, या एलएसएस से आगे ब्लॉक सेक्शन के दोनों छोर पर उपलब्ध किए गए ट्रैक सर्किट या एक्सल काउंटर खराब हो जाते हैं तो आईबीएस को खराब माना जाएगा और सानि 3.75.2 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा.
- 9. मेमू/ईएमयू के लोको पायलट/मोटरमैन को आईबीएस सिगनल ऑन 'होने पर निम्नलिखित सावधानियां बरतने के बाद आईबीएस सिगनल पोस्ट टेलीफोन के माध्यम से पीछे के स्टेशन के स्टेशन मास्टर से बात करके इंजन छोड़ने की अनुमित दी जाती है:
  - a) आगे के मोटर कोच से ऑटो ब्रेक लगाएं और स्वयं सुनिश्चित करें कि गाड़ी के ब्रेक लगाए गए हैं.
  - b) वॉकी-टॉकी पर गार्ड को परामर्श दें कि वह पहियों के नीचे लकड़ी के वेजेज को नीचे ढाल की दिशा के अनुसार लगाए ताकि नीचे की ओर लुढ़कने से बचा जा सके और गार्ड से पृष्टि प्राप्त करें.
  - c) ब्रेक आइसोलेशन वाल्व (BIV) चाबी, रिवर्सर (MPJ) चाबी और BL चाबी निकालें.
  - d) गार्ड को कैब नहीं छोड़नी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उसे ब्रेक लगाने की अनुमित दी जानी चाहिए. जब लोको पायलट/मोटरमैन आईबीएस सिगनल पोस्ट टेलीफोन के माध्यम से पीछे के स्टेशन के स्टेशन मास्टर से बात करने के बाद कैब में वापस आता है.

55 · 2 2 2 [ ए. सुरेश ] वरि. मंसंधि

प्रतिलिपि: मंरेप्र/सिकंदराबाद को सूचनार्थ. अमंरेप्र/प्रचा/सिकं.और अमंरेप्र/इंफ्रा/सिकं. को सूचनार्थ. सभी शाखा अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु. सभी क्षेत्र पर्यवेक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु.